न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी : [illegible]

मुकदमा [illegible]

[illegible] / 2014 [illegible]

[illegible]

1 श्रीमति [illegible] पत्नी [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील व जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1 [illegible] पुत्र [illegible] सिंह
2 [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह
3 [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह
4 [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह
5 [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह
6 [illegible] पुत्र [illegible] सिंह
7 [illegible] तहसील व जिला सवाई माधोपुर
8 [illegible] पुत्र [illegible] सिंह
9 [illegible] तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

वाद पत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राज0टी0 एक्ट

उपस्थित :

1 जगदीश प्रसाद शर्मा प्रार्थी की ओर से।

– निर्णय –

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक वाद पत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राज0टी0 एक्ट पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दोबड़ाकलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर की मूल निवासी है एवं खातेदार काश्तकार है। वादिया ने वाके ग्राम धनोली में स्थित कृषि भूमि खसरा नं० 2442 / 2708 रकबा 0.39 है0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 13.08.2007 को खातेदार जगदीश, सीताराम, गोरधन पुत्र रघुनाथ जाति माली निवासी धनोली से खरीद करके भौतिक कब्जा प्राप्त किया था विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 17.7.15 को वादिया के नाम से नामान्तकरण संख्या 1002 तस्दीक होने पर राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2069 से सम्वत् 2072 के खाता संख्या 132 में नामान्तकरण संख्या 1002 का इन्द्राज हो रहा है। विवादित भूमि हाल खसरा नं० 2442/2708 को भू प्रबन्ध विभाग ने खातेदार जगदीश, सीताराम गोरधन का भौतिक कब्जा होते हुए भी ट्रेस में गलत जगह दर्शाने के कारण खातेदार जगदीश, सीताराम, गोरधन ने माननीय न्यायालय में दुरूस्ती इन्द्राज हेतु प्रार्थना पत्र 136 एल. आर. एक्ट का प्रस्तुत किया, जिसको माननीय न्यायालय ने तहसीलदार, सवाई माधोपुर से मौके की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब करते हुए दिनांक 25.11.14 को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निम्न आदेश पारित किया "अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी [illegible] रकबा 0.31 है0 की नक्शाशीट में तरमीम उठा दी है जिसे [illegible] जाकर उसके स्थान पर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं० 24[illegible] ग्राम धनोली तहसील स०मा० की तरमीम नक्शा शीट में की [illegible] रकबा 0.31 है० वाके ग्राम धनोली जो अप्रार्थी नं० 2 की खातेदारी में दर्ज है को सिवायच[illegible] की जावें। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.14 की पालना में हाल ट्रेसशीट में तरमीम होकर हाल जमाबन्दी प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज खाता संख्या 190 में नामानतकरण सं0 976 दिनांक 03.03.15 के द्वारा खसरा नं० 2491 रकबा 0.31 है0 के आदेश के अनुसार ट्रेसशीट में नदीन इन्द्राज करते हुए खसरा नं0 2491 को सिवायचक दर्ज करने का नोट हाल जमाबन्दी

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar
Date: 2025.09.10 13:57:30 IS
Reason: SelfAttested

के खाता संख्या 190 में दर्ज है। वादिया के कब्जे कास्त की भूमि खसरा नं0 2442 / 2708 रकबा 0.39 है0 के उत्तर में वादिया की मां गुलफत के नाम की कृषि भूमि खसरा नं0 2492 रकबा 0.57 है, ख0नं0 2493 रकबा 0.53 है0 का खेत है एवं पूर्व में बिशन्या पुत्र गोपाल माली निवासी धनोली का खेत ख0नं0 2490 रकबा 2.48 है0 एवं पुख्ता चाह ख0नं0 2489 रकबा 0.03 है0 में स्थित है। वादिया पुख्ता चाह से स्वयं के कब्जेकास्त की भूमि में बिशन्या की सहमति से सिंचाई करती आ रही है। वादिया के पश्चिम में खसरा नं0 2495 गैर मुमकिन नाले नदी की भूमि स्थित है । एवं दक्षिण दिशा में नारायणसिंह का खेत खसरा नं० 2474 रकबा 2.47 है0 स्थित है। प्रतिवादी सं0 3 ने दिनांक 6.7.16 को थाना सूरवाल में गलत तथ्यों के आधार पर खसरा नं0 2491 रकबा 0.31 है0 खातेदारी की भूमि स्वयं के पिता के नाम होने की रिपोर्ट पेश की जबकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में ट्रेसशीट में ख0नं0 2491 के स्थान पर वादिया के नाम की भूमि खसरा नं0 2442 / 2708 रकबा 0.39 है० दर्ज कर दिया है। एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम की भूमि को ट्रेसशीट में खसरा नं0 2442/2708 के स्थान पर खसरा नं0 2491 दर्ज करके राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के पश्चात् भी प्रतिवादी ने वादिया के भाई को कतई झूठे प्रकरण में गिरफ्तार करवा दिया । इस घटना से वादिया को सर्व प्रथम जानकारी हुई की प्रतिवादीगणों ने नाजायज गिरोह बनाकर कानून को हाथ में लेकर वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा न० 2442/2708 रकबा 0.39 है0 को हडपने के लिये प्रयत्नशील है । इसलिये वादिया को अधिकार प्राप्त है कि न्यायालय हाजा की शरण लेकर घोषणा व इस्तकरार हेतु दावा प्रस्तुत करके प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं। वादिया हाल राजस्व रिकॉर्ड व हाल ट्रेसशीट में अंकित खसरा नं० 2442 / 2708 रकबा 0.39 है0 की रिकोर्डेड खातेदार कास्तकार होते हुए भी हाल ट्रेसशीट में अंकित खसरा नं० 2491 रकबा 0.31 है0 सिवायचक दर्ज होते हुए भी वादिया के कब्जे की भूमि में बिना किसी अधिकार के विवाद करने के कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक हो गया। वाद पत्र वादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावें । घोषणा इस्तकरार हक इस अमर का फरमाया जावें कि वाके ग्राम धनोली में स्थित नवीन ट्रेसशीट में तरमीम शुदा भूमि खसरा नं० 2442 / 2708 रकबा 0.39 है0 की वादिया के स्वामित्व की घोषित की जावें । प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि हाल खसरा नं० 2442/2708 रकबा 0.39 है0 के कब्जे कारत में न तो स्वयं नहीं दीगर व्यक्ति द्वारा व्यवधान पैदा करावें । अन्य दादरसी जो भी मुफीद हो न्यायहित में वादिया को दिलाई जावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिए नोटिस तलबी की गई। प्रतिवादीगण जरिए वकील न्यायालय में तो उपस्थित हुए परंतु प्रतिवादीगण द्वारा न तो जबाब पेष किया गया जिसके कारण दिनांक 24.12.2019 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने साक्ष्य में पीडब्लयू 1 से लेकर पीडब्लयू 4 के शपथ पत्र पेश किए। तथा उन शपथ पत्रों पर बयान अंकित करवाए गए। प्रदश में वादी द्वारा जमाबंदी 2069–72 की खाता पेश की है जो प्रदर्श 1 है। नामा0 संख्या 1002 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जो प्रदर्श 2 है। मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रदर्श 3 है। परिवाद पत्र की [illegible] प्रति प्रदर्श 4 है। जमाबंदी 2069–72 की खाता संख्या 462 की जमाबंदी [illegible] है जो प्रदर्श 5 है। ट्रेसशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 है। ट्रेसशीट [illegible] प्रदर्श 7 है। एफ0आर0 नं0 68/15 थाना सूरवाल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 8 है। पुलिस द्वारा नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श 9 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damod
Date: 2025.09.10 13:57:3
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थिया की राजस्व ग्राम धनौली के ख0न0 2442/2708 रकबा 0.39 है0 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा काश्त करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अपनी खातेदारी बताकर प्रार्थिया को बेदखल करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मंशुबों पर सफल होते है तो प्रार्थियों को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने की कृपा करें।

ना कलेक्टर
ई माधोपुर

पत्रावली में वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादिया उक्त वादपत्र में उल्लेख किया की ग्राम धनोली में स्थित कृषि भूमि खसरा नं० 2442 / 2708 रकबा 0.39 है० को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 13.08.2007 को खातेदार जगदीश, सीताराम, गोरधन पुत्र रघुनाथ जाति माली निवासी धनोली से खरीद करके भौतिक कब्जा प्राप्त किया था विकय पत्र के आधार पर दिनांक 17.7.15 को वादिया के नाम से नामान्तकरण संख्या 1002 तस्दीक होने पर राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2069 से सम्वत् 2072 के खाता संख्या 132 में नामान्तकरण संख्या 1002 का इन्द्राज हो रहा है। विवादित भूमि हाल खसरा नं० 2442/2708 को भू प्रबन्ध विभाग ने खातेदार जगदीश, सीताराम गोरधन का भौतिक कब्जा होते हुए भी ट्रेस में गलत जगह दर्शाने के कारण खातेदार जगदीश, सीताराम, गोरधन ने इस न्यायालय में दुरूस्ती इन्द्राज हेतु प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत किया, जिसको इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, सवाई माधोपुर से मौके की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब करते हुए दिनांक 25.11.14 को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निम्न आदेश पारित करते हुए वादिया की आराजी खसरा नं० 2442 / 2708 रकबा 0.39 है० वाके ग्राम धनोली तहसील स०मा० की तरमीम नक्शा शीट में की जावें तथा खसरा नं0 2491 रकबा 0.31 है० वाके ग्राम धनोली को सिवायचक दर्ज की जावें। वादिया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं० 2442 / 2708 रकबा 0.39 है० वाके ग्राम धनोली तहसील स०मा० पर कब्जा काश्त है। खातेदारी भूमि होने के कारण प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर वादिया को बेदखल करने का कोई अधिकार नही है। वादिया अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त करने एवं उसका उपयोग/उपभोग करने में स्वतंत्र अधिकारी है। वादिया प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करवा सकती है। अतः वादिया का वादपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

कियात्मक आदेश

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि खसरा नं० 2442 / 2708 रकबा 0.39 है० वाके ग्राम धनोली तहसील स०मा० में वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 उसके कब्जे काश्त में न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे न ही अन्य दीगर व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें। तदानुसार डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/08/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Sin
Date: 2025.09.10 13:57:30 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान सवाई माधोपुर

1. श्रीमति रूकसाना पत्नी बाबू खां उम्र 40 वर्ष जाति गद्दी मुस्लमान निवासी दोबडा कला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र औंकार सिंह
2. सोराज सिंह पुत्र नारायण सिंह
3. रघुवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह
5. जितेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह
6. पटवारी पुत्र मोहन सिंह जातियान राजपूत निवासीयान धनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. नाथूलाल पुत्र गुलाब सिंह
8. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

नम्बर मुकदमा 104 सन् 2024

वाद पत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राज0टी0 एक्ट

वादी की और से जगदीश प्रसाद शर्मा एड0 और प्रतिवादी गण की और से एकपक्षीय की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 07/08/2024 को श्री अनिल कुमार चौधरी (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि खसरा नं० 2442 / 2708 रकबा 0.39 है० वाके ग्राम धनोली तहसील स०मा० में वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 उसके कब्जे काश्त में न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे न ही अन्य दीगर व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें। खर्चा पक्षकार अपना – अपना वहन करें।

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 07/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

उप जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:30 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शक्ति पद के लिए स्टाम्प	02.00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0.00	
3	प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	0.00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
7	आदेशिका की तामील	03	00			
	जोड	07.00	00	जोड	02.00	